

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SH. GAGAN AGARWAL PERSONAL GUARANTOR OF M/S SHREE BASANT OILS LTD.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal ('NCLT'), Allahabad Bench, Prayagraj, in **C.P. (IB)/25/ALD/2024**, vide its order dated 24.10.2024 (Order uploaded on NCLT website on 02.11.2024) has ordered the commencement of the Insolvency Resolution Process under section 100 of the IBC, 2016, against Sh. Gagan Agarwal, Residing at - Plot No. 8A/L-12, Lawyers Colony (Khasra No.742, Mauza Mau Mustkil), Hari Parwat Ward, Agra-282001 (Last known address to the Resolution Professional).

The creditors of Sh. Gagan Agarwal are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21 days from the date of issue of this notice i.e. by or before 26.11.2024, to Mr. Deepak Kumar Garg, Resolution Professional appointed by the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj, under the provision of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, at 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001. The case-specific e-mail id is **sbolpg@gmail.com**

The creditors shall have to submit their claim to the resolution professional as prescribed under regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, in Form B. The last date for submission of claims of creditors shall be 26.11.2024. The creditors may submit their claims by way of electronic communication, or through courier, speed post or registered letter.

The prescribed form for submission of claims can be downloaded from the following link: <https://ibbi.gov.in/en/home/downloads>

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

Deepak Kumar Garg

Resolution Professional in the Insolvency Resolution Process of Sh. Gagan Agarwal
Personal guarantor of M/S Shree Basant Oils Limited
IP Registration No. – IBBI/IPA-002/IP-N00796/2019 -2020/12560

AFA Valid Up to 31.12.2025

Address: 7A, Atmaram House, No.1,
Tolstoy Marg, Delhi, 110001

Date: 05.11.2024

IBBI Registered E- mail id- deepakgarg07@rediffmail.com

Place: Delhi

Case Specific Email id: sbolpg@gmail.com



HERO FINCORP LIMITED
CIN: U74899DL1991PLC046774
Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Tel: 011-49487150 Fax: 011-49487150 Email: litigation@herofincorp.com
Website: www.herofincorp.com

"APPENDIX-IV-A" [SEE PROVISO TO RULE 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY IN TERMS OF SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers (B) that the below mentioned immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), the Constructive/ Symbolic possession of the below mentioned immovable property has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor (Hero Fincorp Limited), will be sold on **"As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis"** on below mentioned date, for recovery of amount as mentioned below, due to the Secured Creditor from the Borrower. The Reserve Price is mentioned below and the earnest money to be deposited is mentioned respectively.

Name of the Borrower (B) / Guarantors (G) / with Address	Address of the immovable property mortgaged/ charged
1. M/s Florence Nightingale Educational Society (Borrower) , having its registered office at Presidium School, Sector-16B, HAF Pocket-A, Phase-II, Dwarka, New Delhi-110075 and also at W-21, 2nd Floor, Greater Kailash-1, New Delhi-110048.	Immoveable leasehold property (lease executed by DDA) comprising of built up structure and land underneath admeasuring 3999.42 sq.m, situated at HAF Pocket A, Sector 16/B, Dwarka, New Delhi wherein a school namely Prudence School (formerly known as Presidium School) is being run.
2. Mr. Gurmeet Singh Matharoo (Co-Borrower) , residing at W-21, 2nd Floor, Greater Kailash-1, New Delhi-110048.	
3. Mr. Rajiv Narang (Co-Borrower) , residing at House No.8-2, Parivahan Apartment, GH-1, Sector-5, Vasundhara, Ghaziabad-201001	
4. Mrs. Amita Sehgal (Co-Borrower) , residing at B-1/185, Vishnu Garden, West Delhi, Delhi-110018.	

Reserve Price (RP)	EMD Amount 10% of the Reserve Price	Incremental Amount
Rs. 23.53,00,000/-	Rs. 2,35,30,000/-	Rs. 1,00,000/-

Outstanding Dues for recovery of which property is being sold	Date/Time of On-Site Inspection of Property with Name of Authorized Officer	Last Date for submission of EMD and Request letter of participation, KYC, Documents, Pan Card, Proof of EMD etc.	Date and Time of E-Auction with auto extension of 5 minutes each
Rs. 25,67,31,568.20/- (Rupees Twenty Five Crores Sixty Seven Lakhs Thirty One Thousand Five Hundred Fifty Eight and Twenty Paise only) due as on 01.10.2024 along with other charges thereon.	On or before 19.11.2024 10:00 AM to 5:00 PM Authorized Officer: Sharvan Kumar Jha Mob: 9599353339 Email: sharvan.jha@herofincorp.com you can also contact: Mr. Ramesh Giri Mob: 9643468804 ramesh.giri@herofincorp.com	On or before 20.11.2024 upto 5:00 PM and EMD through RTGS/NEFT	21.11.2024 Time: 10:00 AM to 1:00 PM

The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS / NEFT or by way of Demand Draft / Pay order in the Account No.00030310016156, Name of the Beneficiary: "Hero Fincorp Limited", IFSC Code: HDFC0000003

Terms and Conditions of the E-Auction:

- E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As is what is Basis" & "whatever there is Basis" and will be conducted "online".
- The E-Auction will be conducted through M/s E-Procurement Technologies Ltd. (Helpline No(s): 9173528727, 0796120 0576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 and E-mail on support@auctiontiger.net/ mailulk.auctiontiger.net)
- There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. However, the intending bidders should make their own independent enquires regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute an commitment or any representation of Hero Fincorp Limited.
- The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the following website: <https://sarfaesi.auctiontiger.net> and also on company website.
- It is to be noted that the borrower has filed a Securitization Application (SA) under Section 17 of SARFAESI Act bearing SA No. 51 of 2024, pending before DRT - II, Delhi. Further, DDA has filed a SA bearing SA No. 190 of 2024, before DRT-II, Delhi and a Misc. Appeal bearing no. 215 of 2024 before DART, Delhi, both are pending adjudication and there is no stay on auction of the secured asset as on date.
- That some of the students filed a Writ Petition bearing no. 10405 of 2023 before Hon'ble High Court of Delhi. That the Hon'ble High Court vide order dated 07.08.2023 and 22.11.2023, directed that while proceedings under the SARFAESI Act, 2002 may go on otherwise in relation to the title or possession of the school property/ secured asset however, no such action or measure shall be taken by HFCL, that may result in the closure of the school run at the secured asset or interfering with the education of the students at the school being run on the premises of secured asset. Further, for closure of the school being run at secured asset, prior approval from the Hon'ble High Court may be required. The successful auction purchaser shall also comply with aforesaid orders of the Hon'ble High Court.
- All terms and conditions of the Perpetual and Temporary Lease deed dated 06.01.2005 executed by DDA in favour of the Borrowers will be followed by the successful auction purchaser in true spirit and intent.

Date: 05.11.2024
Place: Delhi

Sd/- Authorized Officer, Hero Fincorp Limited



EAST COAST RAILWAY
e-Tender Notice No. E.CO.R-2x25-
OHESS-CT-01, Dated : 25.10.2024

NAME OF WORK : DESIGN, SUPPLY, ERECTION, TESTING & COMMISSIONING OF FEEDER LINE, AEC & BEC IN CONNECTION WITH UPGRADEATION OF 1x25 KV TRACTION SYSTEM TO 2x25 KV TRACTION SYSTEM AND DESIGN, SUPPLY, ERECTION, TESTING & COMMISSIONING OF 2x25 SCOTT CONNECTED 132/25 KV TRACTION SUB STATION, SECTIONING POST (SPs), AND SUB SECTIONING POST (SSPs) BETWEEN CUTTACK - RAJ ATHAGARH-TALCHER-ANGUL AND BARANG - RAJ ATHAGARH (EXCL CUTTACK - NERUNDI AND BARANG) SECTION OF KHURDA ROAD DIVISION OF EAST COAST RAILWAY AS A COMPOSITE ELECTRICAL WORK TO MEET 3000MT. LOADING TARGET (151RKM/566T KSM TSS- 3NO. (4L), SP-05NOS. (4L) & SSP-07 NOS. (4L)).

Approx. Cost of the Work : ₹ 3,32.80.53,936.77, Bid Security ₹ 1,00,00,000/-, Completion Period of the Work : 24 Months.

Tender Closing Date & Time : At 1500 hrs. of 10.12.2024.

No manual offers sent by Post / Courier / Fax or in person shall be accepted against such e-tenders even if these are submitted on firm's letter head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration. Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available in website : www.irops.gov.in

Note : The prospective tenderers are advised to revisit the website 15 (Fifteen) days before the date of closing of tender to note any changes / corrigenda issued for this tender. The tenderers/bidders must have Class-II Digital Signature Certificate and must be registered on IREPS Portal. Only registered tenderer/bidder can participate on a tendering.

The tenderers should read all instructions to the tenderers carefully and ensure compliance of all instructions including check lists, para 3.1 (additional check-list) of Tender form (second sheet) Annexure-I of chapter-2 of Tender documents, submission of Annexure-B/G and G1 duly verified and signed by Chartered Accountant.

Dy. Chief Electrical Engineer (Con-III) PR-83/CH/24-25 Bhubaneswar



THE BUSINESS DAILY.
FINANCIAL EXPRESS
FOR DAILY BUSINESS.
financialexpress.com



MEYER APPAREL LIMITED
CIN: L18101HR1993PLC032010
Regd. Office: Musti No.17, Killa No.- 8, Village Narsinghpur, Gurugram - 122004 Haryana, India

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that meeting of Board of Directors of Meyer Apparel Limited to be held on Wednesday, 13th November 2024 at 01:00 PM through video conferencing, inter-alia to consider and approve, the un-audited Financial Results for the quarter/Half-year ended 30th September, 2024 and amongst other items. This notice is also available on the website of the company <https://www.meyerapparel.com> and on the website of BSE Ltd <http://www.bseindia.com>, where the company's shares are listed.

For Meyer Apparel Limited
Place: Gurugram **Sd/-**
Date: 4th November, 2024 **Charu Sharma**
Company Secretary & Compliance Officer



P R HOLDINGS LIMITED
CIN : L27310DL1983PLC314402
Regd. Office : R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Tel: 011-42475489 Website: www.prholding.in Email: prholding1983@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Listing Agreement(s) with MSEI & CSE, Notice/ Intimation is hereby given that Meetings of Remuneration & Nomination Committee & Audit Committee & Board of Directors will be held at its Regd. Office on WEDNESDAY - 13.11.2024 at 12:30 & 01:00 & 01:30 P.M. respectively inter-alia to consider, approve & adopt Un-audited Financial Results of Quarter & Half-Year ended 30.09.2024 alongwith half-yearly Statement of Assets & Liabilities' and Cash Flow Statement as at 30.09.2024, & Limited Review Report from Statutory Auditors, Trading Window in equity shares will remain closed from 01.10.2024 to 17.11.2024 for all insiders. To consider & appoint suitable & competent Company Secretary cum Compliance Officer and Any other matter with the permission of Chair.

New Delhi 04.11.2024 SAKSHI GUPTA WTD & CFO DIN: 09773654



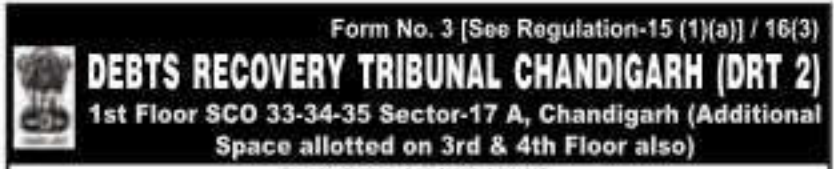
DECOROUS INVESTMENT & TRADING CO. LTD.
CIN: L67120DL1982PLC289900
Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Tel No.: 9910003638, Email Id: decorous1982@gmail.com Website: www.ditco.in

NOTICE

Pursuant to Listing Agreement(s) with BSE Ltd. & CSE, Notice is hereby given that Meetings of Audit Committee & Board of Directors is scheduled to be held on WEDNESDAY - 13.11.2024 at 10:30 & 11:30 A.M. respectively at its Regd. Office inter-alia to consider, approve & adopt Un-audited Financial Results of Quarter & Half-Year ended 30.09.2024 alongwith half-yearly Statement of Assets & Liabilities' and Cash Flow Statement as at 30.09.2024, & Limited Review Report from Statutory Auditors, Trading Window in equity shares will remain closed from 01.10.2024 to 17.11.2024 for all insiders, and Any other matter with the permission of Chair.

New Delhi 04.11.2024 Raj Kumar Gupta Director -DIN: 00074532

A F ENTERPRISES LIMITED											
Regd. Off: H/1516, Basement B Portion, West Patel Nagar, New Delhi-110008, Corp Office: Plot No. 8, Sector-5, Main Mathura Road, Faridabad, Haryana-121006 Email Id: info.afenterprises@gmail.com Website: www.afenterprisesindia.in CIN: L18100DL1983PLC016354											
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTMEBER, 2024											
(Amount in Lakhs.)											
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated				YEAR ENDED (01.04.2023 TO 31.03.2024)	YEAR ENDED (01.04.2023 TO 31.03.2024)
		Current 3 Months Quarter ended (01.07.2024 to 30.09.2024) (Rs.)	Previous year quarter ended (01.07.2023 to 30.09.2023)	Current year quarter (01.04.2024 to 30.09.2024) (Rs.)	YEAR ENDED (01.04.2023 TO 31.03.2024) (RS.)	Current 3 Months Quarter ended (01.07.2024 to 30.09.2024) (Rs.)	Previous year quarter ended (01.07.2023 to 30.09.2023)	Current year quarter (01.04.2024 to 30.09.2024) (Rs.)	YEAR ENDED (01.04.2023 TO 31.03.2024)		
1	Total Income from Operations	35.37	77.10	179.38	850.14	35.37	77.1	179.38	850.14		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-49.34	9.53	-87.32	-98.67	-49.65	8.8	-88.12	-108.06		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-49.34	9.53	-87.32	1.34	-49.65	8.8	-88.12	-8.06		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-49.34	28.07	-87.32	24.77	-49.65	27.33	-88.12	-34.68		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-49.34	28.07	-87.32	25.21	-49.65	27.33	-88.12	-34.24		
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/-) each	1,411.36	1,411.36	1,411.36	1411.36	1411.36	1411.36	1411.36	1411.36		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,987.40	1,962.21	1,987.40	1987.4	1923.27	1901.52	1923.27	1923.97		
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -										
1. Basic:		-0.35	0.20	-0.62	0.18	-0.35	0.19	-0.62	-0.25		
2. Diluted:		-0.35	0.20	-0.62	0.18	-0.35	0.19	-0.62	-0.25		
Notes:											
1. The above Un audited Financial Results were reviewed by the Members of Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meeting held on 04th November, 2024 . The Statutory Auditors of the company have carried out a Limited Review of the Financial Results for these financials.											
2. The company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by Ministry of Corporate Affairs from 1st April 2017, with a transition date 1st April 2016 and accordingly these financial Result have been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India.											
3. Figures for the prior period have been regrouped and / or rearranged wherever considered necessary as per the revised format prescribed by SEBI under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and amended as per the Schedule III of the Companies Act, 2013.											
4. The format for above results as prescribed in SEBI's circular CIR/CSF/DCMS/15/2015 dated 30th November, 2015 has been modified to comply with requirements of SEBI's circular dated 5th July, 2016, IndAS and Schedule III (Division-II) to the companies Act, 2013 applicable to companies that are required to comply with Ind AS.											
5. These Results are also updated on the company's website https://afenterprisesindia.in .											
For AF ENTERPRISES LIMITED Sd/- Santosh Kumar Kushawaha Director DIN:- 02942228											
Date: 04th November, 2024 Place: Faridabad											



DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional Space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/277/2024

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No.: 24044

INDIAN OVERSEAS BANK VS SUMIT KUMAR

To,
(1) **SUMIT KUMAR**
D/W/S/O- umrao singh
SHRI SUMIT KUMAR SON OF SHRI UMRao SINGH RESIDENT OF FLAT NO. 1005, I BLOCK, RISHABH CLOUD 9, VASUNDHRA, GHAZIABAD UP-201012.
GHAZIABAD, UTTAR PRADESH

SUMMONS

WHEREAS, OA/277/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/ Registrar on 01/10/2024.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs.8227246.24/-** (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **27/12/2024 at 10:30 A.M.**, failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date:10/10/2024.

Signature of the Officer Authorised to issue summons.



SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED
Registered Office: Office No. 123, Angappa Naicken Street, Chennai - 600 001.
Branch Office: No.: PLOT NO. 3, D.6, NIT, FARIDABAD-121001.
Website: www.shriramcity.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Where as, the undersigned being the authorised officer of Shriram City Union Finance Limited (SCUF) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices.

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers that the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 30th day of October 2024.

Borrower Name and Address	Amount due as per Demand Notice	Description of Property
1. M/S. R.S. BHANDANA TRADERS REP BY IT'S PROPRIETOR MR PAWAN S/O SRI ROHTASH OFFICE AT- BADKAL PALI ROAD NEAR ULTIMATE DHARAM KANTA FARIDABAD, HARYANA	To pay Rs.3674818.53/- (Rupees THIRTY SIX LAKH SEVENTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTEEN RUPEES AND FIFTY THREE PAISE) under reference of Loan A/c No: CDFART2102260007	PROPERTY BEARING KHARSRA 25/2/(23-14)/4/12-10/5/(12-05/2(6-06/13-15) M, UPTO 2'-0"HT MEASURING 0.050 HECTARE (i.e. 0.25+0.025) HECTARE, I.E., S/TS SO. MIRS. FALLING UNDER KHASRA NO. 25/2/(23-14)/4/2-10/5/(12-05/2(6-06/13-15) MIN., SITUATED AT VILLAGE- PALI & TEHSIL BADKAL & DISTT. FARIDABAD, HARYANA. KNOWN BY THROUGH REELEASE DEED BOOKNO. 1, ILDO. 118, ON PAGES 37 TO 39 AT DOCUMENT NO. 3917 DATED 27/01/2021 THAT SAID PROPERTY IS COMMONLY KNOWN WHICH IS SEVERALLY BOUNDED AS UNDER:-
2. Mr. PAWAN S/O SRI ROHTASH R/O VILL. PALI, NEAR SARV HARYANA G RAMIN BANK NIT FARIDABAD, HARYANA- 121001.	Demand Notice Dated:- 21-05-2024	EAST : ULTIMATE COMPANY SOUTH : PROPERTY OF ROHTAS WEST : ROAD NORTH : PROPERTY OF SARDAR
3. Mr. ROHTASH SINGH S/O GIASI RAM R/O HOUSE NO 60, MIYA MOHALA VPO OFFICE, PALI (13) FARIDABAD, HARYANA - 121004.		

This notice is also hereby to caution the general public at large that the authorized officer of SCUF is in the lawful Symbolic Possession of the immovable property mentioned herein above and the Borrowers or any person shall not after receipt of this notice transfer by way of sale, lease or otherwise deal with/ alienate any of the above mentioned secured assets referred to in this notice, without prior written consent of SCUF.

Place: FARIDABAD.
Date : 05-11-2024

Sd/-
Authorised Officer
Shriram City Union Finance



BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI
4th Floor, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001.

Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act 1993 read with rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule) 1993) in the matter of:

T A NO 868/2024
BANK OF INDIA
M/S MANZAR TRADING CO AND ORS.

DATE : 26.07.2024
APPLICANT
RESPONDENT

DEFENDANT
D1. **M/S MANZAR TRADING CO.**
C-50 GOPAL VIHAR VIJAY VIHAR SECT 4 ROHINI DELHI-85
D2. **SHRI SIYARAM S/O MR. BAJNATH**
PLOT NO 149 AMBERAHI VILLAGE SECT 19 DWARKA NEW DELHI - 75.
D3. **SMT. RAM KALA W/O MR. SIYARAM**
PLOT NO 149 AMBERAHI VILLAGE SECT 19 DWARKA NEW DELHI - 75.

Whereas the above named applicant(s) has/have instituted a case for recovery of Rs. 31,16,250.41/- (RUPEE THIRTY ONE LAKH SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY AND FORTY ONE PAISE ONLY) against you and where as it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal on **09.12.2024 at 10.30 A.M.**

Take notice that in default of your appearance on the day before the mentioned, the case will be heard and decided in your absence.

All the matters will be taken up through Video Conferencing or physical and that for purpose :-

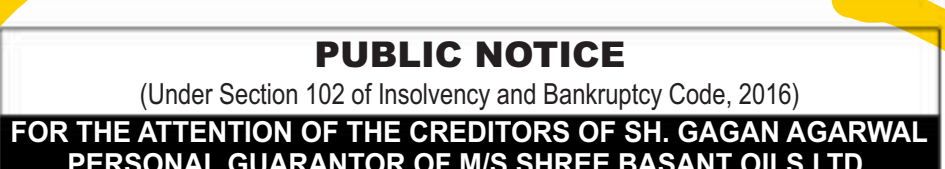
(i). All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software;

(ii). "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be taken by Hon'ble Presiding Officer/Registrar shall be displayed in the daily cause list itself at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in

(iv). In any emergency qua that the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748478.

Given under my hand and seal of the Tribunal this the 26th day of July 2024.

By Order of The Tribunal
Section Officer, DRT-II, Delhi.



PUBLIC NOTICE
(Under Section 102 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SH. GAGAN AGARWAL PERSONAL GUARANTOR OF M/S SHREE BASANT OILS LTD.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT"), Allahabad Bench, Prayagraj, in C.P. (IB)/25/ALD/2024, vide its order dated 24.10.2024 (Order uploaded on NCLT website on 02.11.2024) has ordered the commencement of the Insolvency Resolution Process under section 100 of the IBC, 2016, against Sh. Gagan Agarwal, Residing at - Plot No. 8A/11, Lawyers Colony (Khasra No.742, Mauza Mau Mustik), Hari Panwat Ward, Agra-282001 (Last known address to the Resolution Professional).

The creditors of Sh. Gagan Agarwal are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21 days from the date of issue of this notice i.e. by or before 26.11.2024, to Mr. Deepak Kumar Garg, Resolution Professional appointed by the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj, under the provision of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, at 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001.

The case-specific e-mail id is sbolpg@gmail.com.

The creditors shall have to submit their claim to the resolution professional as prescribed under regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, in Form B. The last date for submission of claims of creditors shall be 26.11.2024. The creditors may submit their claims by way of electronic communication, or through courier, speed post or registered letter.

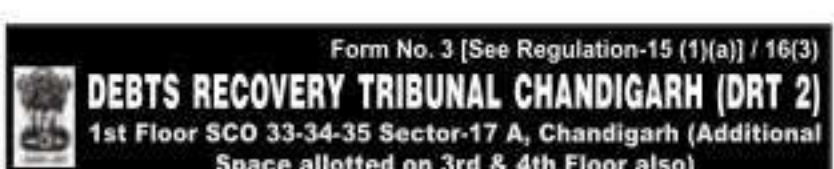
The prescribed form for submission of claims can be downloaded from the following link: <https://ibbi.gov.in/home/downloads>

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

Deepak Kumar Garg
Resolution Professional in the Insolvency Resolution Process of Sh. Gagan Agarwal
Personal guarantor of M/S Shree Basant Oils Limited
IP Registration No. - IBB/PA-002/IP-NO0796/2019 -2020/12560
AFA Valid Up to 31.12.2025
Address: 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001

Date: 05.11.2024
Place: Delhi

IBBI Registered E- mail id- deepakgarg07@rediffmail.com
Case Specific Email id: sbolpg@gmail.com



DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)
1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional Space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/274/2024

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No.: 23986

INDIAN OVERSEAS BANK VS PRITPAL SINGH

To,
(1) **DEFENDANT NO. 1- SHRI PRITPAL SINGH SON OF SHRI SARDARA SINGH**
RESIDENT OF HOUSE NO. 77/21, GROUND FLOOR, SATYA VIHAR, BURARI, NEW DELHI-110084
(2) **DEFENDANT NO.**

संक्षिप्त समाचार

पेड़ पर युवक का शव लटक
मिलने से क्षेत्र में सनसनी

एटा। रविवार की शाम नगर के ही मोहल्ला हतौड़ा नई बस्ती निवासी एक युवक का शव जंगल में रेलवे लाइन के पास एक पेड़ से लटका मिला। शव की सूचना मिलने पहुंचे परिजनों ने सूचना थाना पुलिस को दी मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा शव को पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती हतौड़ा निवासी लगभग 38 वर्षीय राजेंद्र सिंह बघेल पुत्र मान सिंह बघेल का शव रविवार को जंगल में रेलवे लाइन के निकट एक पेड़ से लटका हुआ मिला। शव की सूचना पर परिजनों के साथ साथ कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा है। घटना की वजह मृतक द्वारा पारिवारिक कलह होना बताया जा रहा है।

मिरहवी में तैनात उप निरीक्षक

अमरीश सिंह की हार्ट अटैक से मौत

मिरहवी। थाना मिरहवी में तैनात एक उप निरीक्षक को अचानक हार्ट अटैक पड़ने से गंभीरावस्था में उनको अलीगढ़ ले जाते समय अकरावाद के निकट अकाला निघन हो गया। एसआई के अचानक निघन होने से उनके परिवार एवं एटा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अभी एक सप्ताह पूर्व हैड से पदोन्नति पाकर उप निरीक्षक बने अमरीश सिंह की तैनाती थाना मिरहवी में की गई थी जिनको अचानक हार्ट अटैक पड़ा और विभागीय कर्मचारी उनको अलीगढ़ ले जा रहे थे कि अकरावाद के निकट उनका निघन हो गया। उप निरीक्षक अमरीश सिंह के निघन की सूचना जैसे ही विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगी वैसे ही विभाग एवं मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रेमिका के हत्यारोपी प्रेमी को पुलिस

ने लिया हिरासत में, भेजा जेल

एटा। गत रविवार की शाम कोतवाली क्षेत्र के कानऊ मोड़ पर दिनदहाड़े घर में घुसकर युवती की हत्या करने वाले हत्यारोपी को घटना के आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया। हत्यारोपी की निशानदेही पर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधीर राघव ने बताया कि कोतवाली के गांव खेड़िया रसीदपुर निवासी 17 वर्षीया सपना पुत्री तेजपाल की गत 26 अक्टूबर को दिनदहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना के मुकदमा का वांछित अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी रसीदपुर उर्फ खेड़िया खाती थाना जलेसर को रविवार को जलेसर- इसली रोड पर रेलवे क्रासिंग के पार से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

गुड टच व बैड टच के बारे में
विस्तार पूर्वक दी जानकारी

मिथान शक्ति

अभियान के तहत
गांव में लगाई गई
चौपाल

स्वदेश समाचार ■ एटा

महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के तहत एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला, बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के

बार काउंसिल ऑफ प्रदेश के आह्वान पर न्यायिक
कार्य से विरत रहे जनपद के अधिवक्ता

बैठक कर गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का साथ देने का लिया निर्णय



न्यायालय पहिसर में हडताल कर प्रदर्शन करते अधिवक्तागण।

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद कासगंज के अधिवक्ताओं ने भी कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज के बैनर तले बैठक कर सामूहिक रूप से गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का साथ देने का निर्णय लिया। इस दौरान जनपद के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की।

बता दें कि जनपद गाजियाबाद के न्यायालय कक्ष में बीते दिनों पूर्व जज व अधिवक्ताओं झड़प के दौरान

पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया था, जिससे गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के साथ-साथ पूरे प्रदेश की अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इसी के चलते सोमवार को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने हडताल की घोषणा की। जिसके चलते सोमवार को कासगंज जनपद के अधिवक्ताओं ने हडताल की, साथ ही लाठी चार्ज करने वाले कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि

कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना बहुत ही शर्मनाक निंदनीय व कायरता पूर्ण कृत्य है, अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है हम देख रहे हैं मौजूदा सरकार में पुलिस निरंकुश हो रही है आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, हापुड़ में भी पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा आंदोलन चला सरकार ने अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन

दिया। लेकिन आज तक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया है। वहीं सत्येन्द्र पाल वैश ने कहा कि सरकार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा हम सरकार से गाजियाबाद कांड के दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की मांग के साथ-साथ घायल अधिवक्ताओं को समुचित मुआवजा व इलाजकी भी मांग करते हैं, यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र होगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में गिरिजा शंकर दुबे, प्रेम सिंह, कौशल किशोर शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, सुनील असावा, निर्मल वर्मा, अंकित वर्मा, अनुरोध गौतम, अनुज यादव, अमित कुमार यादव, लोकेश, बॉबी शर्मा, अभिषेक कुमार यादव, अक्षय सक्सेना, गोविंद शर्मा, अब्दुल रहमान, फैसल, मोहम्मद यासीन, अरविंद कुमार यादव, अयोध्या प्रसाद, दिनेश कुमार, सतीश कुमार आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

सड़क पार कर रहे किशोर को तेज रफ्तार
अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

सिंढपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहने ने सड़क पार कर रहे किशोर को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से पसार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। वहीं किशोर की मौत की खबर सुन उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि विहार के जनपद बौद्ध के ग्या निवासी 15 वर्षीय अनिल पुत्र भीकम सिंह थाना सिंढपुरा क्षेत्र के गंजडुंडवारा रोड स्थित गांव कलानी के पास राधारानी ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता था, बीती देर शाम अनिल रोड क्रॉस कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। वहीं किशोर की मौत की खबर सुन उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सिंढपुरा थाना इस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि हदसे में एक किशोर की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

डॉक्टर व उसके पिता पर जानलेवा
हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस पूर्व डॉक्टर व उसके पिता के साथ क्लीनिक में घुसकर जानलेवा हमला व मारपीट व गाली गलौज करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व परसा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गये आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की है। बता दें कि कासगंज कोतवाली के अशोक नगर निवासी पंकज कुमार पुत्र राजेंद्र भारती अपने ही घर के बाहर क्लीनिक चलाता है। शनिवार की सुबह वह अपनी दुकान खोल रहा था, तभी क्षेत्र के ही रहने वाले रामौतार पुत्र सौदान

सिंह व उसका भाई छोटे यादव अपने भतीजे मनोज यादव व सनेज यादव दो अन्य साथियों के साथ शराब के नशे में उसकी क्लीनिक में घुस आये, और उसके साथ मारपीट करने लगे, अपने पुत्र पंकज के साथ मारपीट होती देख पिता राजेंद्र भारती ने बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने राजेंद्र पर भी परसा व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। मारपीट में डाक्टर पंकज व उसके पिता राजेंद्र भारती गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस संबंध में पंकज ने सभी नामजदों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी थी। मामले को गम्भीरता से लेते हुए एसपी अण्णा रजत कौशिक ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से वसूला
एक लाख 97 हजार रुपये सम्मन शुल्क

यातायात नियमों के पालन पर 2024

स्वदेश समाचार ■ एटा

यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के तहत अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 186 वाहनों का चालान कर 1,97,500 रुपये का सम्मन शुल्कबसूल किया गया।

एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के तहत यातायात जागरूकता हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 04 नवम्बर को चैकिंग के दौरान यातायात के नियमों

का उल्लंघन करने, ड्रिंक एंड ड्राइव, तीन सवारी, बिना हेलमेट, काली फ़िल्म तथा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर 186 वाहनों के चालान कर 1,97,500 रुपये सम्मन शुल्क बसूल किया गया। साथ ही पंपलेट वितरित कर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता पर अलीगंज में निंदा प्रस्ताव पारित

स्वदेश समाचार ■ एटा

बार एसोसिएशन अलीगंज एवं तह0 अलीगंज एसोसिएशन तहसील अलीगंज सघ ने गाजियाबाद में निहस्ते अधिवक्ताओं पर वरवराता पूर्वक लाठियों, कुर्सियों, व डण्डों से प्रहार कर उन्हें गंभीर घायल किए जाने पर प्रदेश के सीएम को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को प्रेषित कर अधिवक्ताओं पर किए गए हमले की घोर निंदा करते हुए उनको क्षतिपूर्ति एवं कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में सीएम से मांग की है कि गाजियाबाद में घायल अधिवक्ताओं को उपचार हेतु व क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक अधिवक्ता को अलग-अलग पांच-पांच लाख रुपये धनराशि, दोषी पुलिस कर्मचारियों,



सीएम को संबोधित ज्ञापन देते हुए अलीगंज के अधिवक्ता

अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमले के सम्बन्ध में कार्यवाही, दोषी पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों हिरासत में लेकर जेल भेजे जाने आदि मांगों से संबंधित एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से सीएमों को भेजा गया। मांग करने वाले अधिवक्ताओं में अनिल अवस्थी, शेष कुमार तिवारी, महेन्द्रपाल कश्यप, रवीन्द्र कुमार, शैलेन्द्र सिंह, कृष्णपाल

सिंह, रामतीर्थ, संतोष कुमार, बृजेश कुमार, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, विनोद कुमार, विनय कुमार, राकेश, राधेश्याम, आनन्द कुमार, सुधीर प्रताप, राधवेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे। जलेसर। वहीं जलेसर में सोमवार को गाजियाबाद के जनपद न्यायधीश के न्यायालय में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किये गये लाठी

चार्ज एवं अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखे गये झूठे मुकद्दमों के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन द्वारा सीएम के नाम संबोधित एक ज्ञापनपत्र एसडीएम विपिन कुमार मोरल को सौंपा गया। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा अगरा चौराहे पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अध्यक्ष सुनील यादव, रामप्रकाश सिंह, केपी सिंह, प्रमोद पचौरी, सुभाष बाबू राजपूत, सुनील दीक्षित, विजय कुमार सिंह, त्रिवेन्द्र यादव, अनिल उपाध्याय, संजय पचौरी, विनोद कुमार सिंह, सुरेंद्र पाठक, दयाराम यादव, रामेश्वर सिंह, भगवती स्वरूप, मंसूर अली आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।



छात्राओं को जागरूक करती महिला पुलिस कर्मी।

महिला पुलिसकर्मियों ने
छात्राओं को किया जागरूक

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कासगंज पुलिस अधीक्षक अण्णा रजत कौशिक के निर्देशन में सोमवार को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति अभियान के मुख्य उद्देश्यों से महिलाओं में वैचारिक, व्यवहारिक परिवर्तन लाये जाने हेतु उनकी सुरक्षा,

साइबर अपराधों से बचने
के टी दी जानकारी

सम्मान, स्वस्थ रिलेशनसिप एवं साइबर हिरा, प्रेम सम्बन्धों में घर से पलायन एवं महिलाओं की सहायता हेतु बने कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर झूठे अभियोग पंजीकृत कराये जाने के दुष्परिणामों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सतर्कता एवं सावधानी से प्रयोग किये जाने एवं किसी अपराध का बोध होने पर बिना संकोच स्थानीय थाना पर शिकायत करने से सम्बन्धित बिन्दुओं को इंगित करते हुए विस्तार से उनकी जानकारी दी गई एवं जागरूक किया गया व शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी ने तहसील
अलीगंज में सुनीं जनसमस्या

स्वदेश समाचार ■ एटा

शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होने पर सोमवार को जनपद की तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम प्रेम रंजन सिंह ने एसएसपी श्याम नारायण सिंह के साथ संयुक्त रूप से तहसील अलीगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारीगण सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त जनशिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करें। डीएम ने इस दौरान आरबीएसके कार्यक्रम के तहत छात्र, छात्राओं को निशुल्क चश्मा भी वितरित किए गए।

डीएम ने मौजूद समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को अगाह किया प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से भी वार्ता कर संतुष्ट करने का प्रयास करें। लेखपाल, पंचायत सचिव द्वारा नियमित रूप से अपने आवंटित क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्रीय समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तहसील अलीगंज में प्राप्त 20 शिकायतों में से 02 का मौके पर निस्तारण किया गया। एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश ने तहसील एटा सरर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त 17 शिकायतों में से 02 का निस्तारण किया। तहसील जलेसर में एसडीएम विपिन कुमार, तहसीलदार राकेश कुमार ने फरियादियों द्वारा 12 शिकायत निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें से 02 शिकायतों का मौके



अलीगंज समाधान दिवस में भी छात्रों को चश्मा पहनाते हुए डीएम

पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान सीडीओ डा0 एके वाजपेयी, सीएमओ डा0 यूके त्रिपाठी, एसडीएम अलीगंज, डीडीओ प्रवीण कुमार राय, सीओ, डीपीआरओ केके सिंह चौहान,

बीएसए दिनेश कुमार, डीडी कृषि रमेश कुमार, कृषि अधिकारी मनवीर सिंह, एआर कॉन्स्टेबल सतीश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

सार्वजनिक सूचना (दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री आयुध अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने C.P. (IB)/26/ALD/2024 में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री आयुध अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्तकिल), हरी पर्वत वाई, अगारा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री आयुध अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://bbi.gov.in/home/downloads
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग, श्री आयुध अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर आईपी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560 एफएफए 31.12.2025 तक वैध पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com दिनांक: 05.11.2024 स्थान: दिल्ली

सार्वजनिक सूचना (दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री गगन अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने C.P. (IB)/25/ALD/2024 में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री गगन अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्तकिल), हरी पर्वत वाई, अगारा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री गगन अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://bbi.gov.in/home/downloads
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग, श्री गगन अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर आईपी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560 एफएफए 31.12.2025 तक वैध पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com दिनांक: 05.11.2024 स्थान: दिल्ली

सार्वजनिक सूचना (दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।
इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने C.P. (IB)/29/ALD/2024 में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्तकिल), हरी पर्वत वाई, अगारा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://bbi.gov.in/home/downloads
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर आईपी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560 एफएफए 31.12.2025 तक वैध पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टोय मार्ग, दिल्ली, 110001 आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com दिनांक: 05.11.2024 स्थान: दिल्ली

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SH. AYUSH AGARWAL PERSONAL GUARANTOR OF M/S SHREE BASANT OILS LTD.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal ('NCLT'), Allahabad Bench, Prayagraj, in **C.P. (IB)/26/ALD/2024**, vide its order dated 24.10.2024 (Order uploaded on NCLT website on 02.11.2024) has ordered the commencement of Insolvency Resolution Process under section 100 of the IBC, 2016, against Sh. Ayush Agarwal, Residing at - Plot No. 8A/L-12, Lawyers Colony (Khasra No.742, Mauza Mau, Mustkil), Hari Parwat Ward, Agra-282001 (Last known address to the Resolution Professional).

The creditors of Sh. Ayush Agarwal are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21 days from the date of issue of this notice i.e. by or before 26.11.2024 to Mr. Deepak Kumar Garg, Resolution Professional appointed by the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj, under the provision of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, at 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001. The case-specific e-mail id is **sbolpg@gmail.com**

The creditors shall have to submit their claim to the resolution professional as prescribed under regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, in Form B. The last date for submission of claims of creditors shall be 26.11.2024. The creditors may submit their claims by way of electronic communication, or through courier, speed post or registered letter.

The prescribed form for submission of claims can be downloaded from the following link: <https://ibbi.gov.in/en/home/downloads>

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

Deepak Kumar Garg,

Resolution Professional in the Insolvency Resolution Process of Sh. Ayush Agarwal

Personal guarantor of M/s Shree Basant Oils Limited

IP Registration No. – IBBI/IPA-002/IP-N00796/2019 -2020/12560

AFA Valid Up to 31.12.2025

Address: 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001

IBBI Registered E- mail id- deepakgarg07@rediffmail.com

Date: 05.11.2024

Place: Delhi

Case Specific Email id: sbolpg@gmail.com

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF SH. PRAMOD KUMAR AGARWAL PERSONAL GUARANTOR OF M/S SHREE BASANT OILS LTD.

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal ('NCLT'), Allahabad Bench, Prayagraj, in **C.P. (IB)/29/ALD/2024**, vide its order dated 24.10.2024 (Order uploaded on NCLT website on 02.11.2024) has ordered the commencement of Insolvency Resolution Process under section 100 of the IBC, 2016, against Sh. Pramod Kumar Agarwal, Residing at R/o- Plot No. 8A/L-12, Lawyers Colony (Khasra No.742, Mauza Mau, Mustkil), Hari Parwat Ward, Agra-282001 (Last known address to the Resolution Professional).

The creditors of Sh. Pramod Kumar Agarwal are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 21 days from the date of issue of this notice i.e. by or before 26.11.2024, to Mr. Deepak Kumar Garg, Resolution Professional appointed by the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj, under the provision of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016, at 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001. The case-specific e-mail id is **sbolpg@gmail.com**

The creditors shall have to submit their claim to the resolution professional as prescribed under regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, in Form B. The last date for submission of claims of creditors shall be 26.11.2024. The creditors may submit their claims by way of electronic communication, or through courier, speed post or registered letter.

The prescribed form for submission of claims can be downloaded from the following link: <https://ibbi.gov.in/en/home/downloads>

Note: Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other applicable laws.

Deepak Kumar Garg,

Resolution Professional in the insolvency resolution process of Sh. Pramod Kumar Agarwal

Personal guarantor of M/S Shree Basant Oils Limited

IP Registration No. – IBBI/IPA-002/IP-N00796/2019 -2020/12560

AFA Valid Up to 31.12.2025

Address: 7A, Atmaram House, No.1, Tolstoy Marg, Delhi, 110001

IBBI Registered E- mail id- deepakgarg07@rediffmail.com

Date: 05.11.2024

Place: Delhi

Case Specific Email id: sbolpg@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

पेड़ पर युवक का शव लटक
मिलने से क्षेत्र में सनसनी

एटा। रविवार की शाम नगर के ही मोहल्ला हतौड़ा नई बस्ती निवासी एक युवक का शव जंगल में रेलवे लाइन के पास एक पेड़ से लटका मिला। शव की सूचना मिलने पहुंचे परिजनों ने सूचना थाना पुलिस को दी मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा शव को पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती हतौड़ा निवासी लगभग 38 वर्षीय राजेंद्र सिंह बघेल पुत्र मान सिंह बघेल का शव रविवार को जंगल में रेलवे लाइन के निकट एक पेड़ से लटका हुआ मिला। शव की सूचना पर परिजनों के साथ साथ कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु भेजा है। घटना की वजह मृतक द्वारा पारिवारिक कलह होना बताया जा रहा है।

मिरहवी में तैनात उप निरीक्षक

अमरीश सिंह की हार्ट अटैक से मौत

मिरहवी। थाना मिरहवी में तैनात एक उप निरीक्षक को अचानक हार्ट अटैक पड़ने से गंभीरावस्था में उनको अलीगढ़ ले जाते समय अकरावाद के निकट अकाला निधन हो गया। एसआई के अचानक निधन होने से उनके परिवार एवं एटा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अभी एक सप्ताह पूर्व हैड से पदोन्नति पाकर उप निरीक्षक बने अमरीश सिंह की तैनाती थाना मिरहवी में की गई थी जिनको अचानक हार्ट अटैक पड़ा और विभागीय कर्मचारी उनको अलीगढ़ ले जा रहे थे कि अकरावाद के निकट उनका निधन हो गया। उप निरीक्षक अमरीश सिंह के निधन की सूचना जैसे ही विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगी वैसे ही विभाग एवं मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।

प्रेमिका के हत्यारोपी प्रेमी को पुलिस

ने लिया हिरासत में, भेजा जेल

एटा। गत रविवार की शाम कोतवाली क्षेत्र के कानऊ मोड़ पर दिनदहाड़े घर में घुसकर युवती की हत्या करने वाले हत्यारोपी को घटना के आठ दिन बाद गिरफ्तार किया गया। हत्यारोपी की निशानदेही पर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुधीर राघव ने बताया कि कोतवाली के गांव खेड़िया रसीदपुर निवासी 17 वर्षीया सपना पुत्री तेजपाल की गत 26 अक्टूबर को दिनदहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना के मुकदमा का वारंट अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी रसीदपुर उर्फ खेड़िया खाती थाना जलेसर को रविवार को जलेसर- इसली रोड पर रेलवे क्रासिंग के पार से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

गुड टच व बैड टच के बारे में
विस्तार पूर्वक दी जानकारी

मिथान शक्ति

अभियान के तहत
गांव में लगाई गई
चौपाल

स्वदेश समाचार ■ एटा

महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के तहत एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला, बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के

बार काउंसिल ऑफ प्रदेश के आह्वान पर न्यायिक
कार्य से विरत रहे जनपद के अधिवक्ता

बैठक कर गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का साथ देने का लिया निर्णय



न्यायालय पहिसर में हडताल कर प्रदर्शन करते अधिवक्तागण।

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद कासगंज के अधिवक्ताओं ने भी कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज के बैनर तले बैठक कर सामूहिक रूप से गाजियाबाद के अधिवक्ताओं का साथ देने का निर्णय लिया। इस दौरान जनपद के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की।

बता दें कि जनपद गाजियाबाद के न्यायालय कक्ष में बीते दिनों पूर्व जज व अधिवक्ताओं झड़प के दौरान

पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया था, जिससे गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के साथ-साथ पूरे प्रदेश की अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इसी के चलते सोमवार को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने हडताल की घोषणा की। जिसके चलते सोमवार को कासगंज जनपद के अधिवक्ताओं ने हडताल की, साथ ही लाठी चार्ज करने वाले कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि

कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करना बहुत ही शर्मनाक निंदनीय व कायरता पूर्ण कृत्य है, अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है हम देख रहे हैं मौजूदा सरकार में पुलिस निरंकुश हो रही है आए दिन अधिवक्ताओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, हापुड़ में भी पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं को बेरहमी से पीटा गया। प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा आंदोलन चला सरकार ने अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन

दिया। लेकिन आज तक अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया है। वहीं सत्येन्द्र पाल वैश ने कहा कि सरकार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा हम सरकार से गाजियाबाद कांड के दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की मांग के साथ-साथ घायल अधिवक्ताओं को समुचित मुआवजा व इलाजकी भी मांग करते हैं, यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र होगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों में गिरिजा शंकर दुबे, प्रेम सिंह, कौशल किशोर शर्मा, कौशलेंद्र सिंह, सुनील असावा, निर्मल वर्मा, अंकित वर्मा, अनुरोध गौतम, अनुज यादव, अमित कुमार यादव, लोकेश, बॉबी शर्मा, अभिषेक कुमार यादव, अक्षय सक्सेना, गोविंद शर्मा, अब्दुल रहमान, फैसल, मोहम्मद यासीन, अरविंद कुमार यादव, अयोध्या प्रसाद, दिनेश कुमार, सतीश कुमार आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

सड़क पार कर रहे किशोर को तेज रफ्तार
अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर ही मौत

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

सिंढपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहने ने सड़क पार कर रहे किशोर को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से पसार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। वहीं किशोर की मौत की खबर सुन उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि विहार के जनपद बौद्ध के ग्या निवासी 15 वर्षीय अनिल पुत्र भीकम सिंह थाना सिंढपुरा क्षेत्र के गंजडुंडवारा रोड स्थित गांव कलानी के पास राधारानी ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता था, बीती देर शाम अनिल रोड क्रॉस कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे अनिल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। वहीं किशोर की मौत की खबर सुन उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सिंढपुरा थाना इस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि हदसे में एक किशोर की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

डॉक्टर व उसके पिता पर जानलेवा
हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस पूर्व डॉक्टर व उसके पिता के साथ क्लीनिक में घुसकर जानलेवा हमला व मारपीट व गाली गलौज करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व परसा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गये आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेजने की कार्यवाही की है। बता दें कि कासगंज कोतवाली के अशोक नगर निवासी पंकज कुमार पुत्र राजेंद्र भारती अपने ही घर के बाहर क्लीनिक चलाता है। शनिवार की सुबह वह अपनी दुकान खोल रहा था, तभी क्षेत्र के ही रहने वाले रामौतार पुत्र सौदान

सिंह व उसका भाई छोटे यादव अपने भतीजे मनोज यादव व सनेज यादव दो अन्य साथियों के साथ शराब के नशे में उसकी क्लीनिक में घुस आये, और उसके साथ मारपीट करने लगे, अपने पुत्र पंकज के साथ मारपीट होती देख पिता राजेंद्र भारती ने बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने राजेंद्र पर भी परसा व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। मारपीट में डाक्टर पंकज व उसके पिता राजेंद्र भारती गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस संबंध में पंकज ने सभी नामजदों के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी थी। मामले को गम्भीरता से लेते हुए एसपी अण्णा रजत कौशिक ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे।

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से वसूला
एक लाख 97 हजार रुपये सम्मन शुल्क

यातायात नियमों के पालन पर विचारित करते हुए यातायात पुलिस

स्वदेश समाचार ■ एटा

यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के तहत अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 186 वाहनों का चालान कर 1,97,500 रुपये का सम्मन शुल्कबसूल किया गया।

एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा यातायात माह के तहत यातायात जागरूकता हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत 04 नवम्बर को चैकिंग के दौरान यातायात के नियमों

का उल्लंघन करने, ड्रिंक एंड ड्राइव, तीन सवारी, बिना हेलमेट, काली फ़िन्त तथा नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर 186 वाहनों के चालान कर 1,97,500 रुपये सम्मन शुल्क बसूल किया गया। साथ ही पंपलेट वितरित कर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता पर अलीगंज में निंदा प्रस्ताव पारित

स्वदेश समाचार ■ एटा

बार एसोसिएशन अलीगंज एवं तह0 अलीगंज एसोसिएशन तहसील अलीगंज सघ ने गाजियाबाद में निहस्ते अधिवक्ताओं पर वरवराता पूर्वक लाठियों, कुर्सियों, व डण्डों से प्रहार कर उन्हें गंभीर घायल किए जाने पर प्रदेश के सीएम को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को प्रेषित कर अधिवक्ताओं पर किए गए हमले की घोर निंदा करते हुए उनको क्षतिपूर्ति एवं कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में सीएम से मांग की है कि गाजियाबाद में घायल अधिवक्ताओं को उपचार हेतु व क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक अधिवक्ता को अलग-अलग पांच-पांच लाख रुपये धनराशि, दोषी पुलिस कर्मचारियों,



सीएम को संबोधित ज्ञापन देते हुए अलीगंज के अधिवक्ता

अधिकारियों के ऊपर जानलेवा हमले के सम्बन्ध में कार्यवाही, दोषी पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों हिरासत में लेकर जेल भेजे जाने आदि मांगों से संबंधित एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से सीएमों को भेजा गया। मांग करने वाले अधिवक्ताओं में अनिल अवस्थी, शेष कुमार तिवारी, महेन्द्रपाल कश्यप, रवीन्द्र कुमार, शैलेन्द्र सिंह, कृष्णपाल

सिंह, रामतीर्थ, संतोष कुमार, बृजेश कुमार, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, विनोद कुमार, विनय कुमार, राकेश, राधेश्याम, आनन्द कुमार, सुधीर प्रताप, राधवेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे। जलेसर। वहीं जलेसर में सोमवार को गाजियाबाद के जनपद न्यायधीश के न्यायालय में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किये गये लाठी

चार्ज एवं अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखे गये झूठे मुकद्दमों के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन द्वारा सीएम के नाम संबोधित एक ज्ञापनपत्र एसडीएम विपिन कुमार मोरल को सौंपा गया। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा अगरा चौराहे पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अध्यक्ष सुनील यादव, रामप्रकाश सिंह, केपी सिंह, प्रमोद पचौरी, सुभाष बाबू राजपूत, सुनील दीक्षित, विजय कुमार सिंह, त्रिवेन्द्र यादव, अनिल उपाध्याय, संजय पचौरी, विनोद कुमार सिंह, सुरेंद्र पाठक, दयाराम यादव, रामेश्वर सिंह, भगवती स्वरूप, मंसूर अली आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।



छात्राओं को जागरूक करती महिला पुलिस कर्मी।

महिला पुलिसकर्मीयों ने
छात्राओं को किया जागरूक

स्वदेश समाचार ■ कासगंज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते कासगंज पुलिस अधीक्षक अण्णा रजत कौशिक के निर्देशन में सोमवार को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति अभियान के मुख्य उद्देश्यों से महिलाओं में वैचारिक, व्यवहारिक परिवर्तन लाये जाने हेतु उनकी सुरक्षा,

साइबर अपराधों से बचने
के की दी जानकारी

सम्मान, स्वस्थ रिलेशनसिप एवं साइबर हिरा, प्रेम सम्बन्धों में घर से पलायन एवं महिलाओं की सहायता हेतु बने कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कर झूठे अभियोग पंजीकृत कराये जाने के दुष्परिणामों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सतर्कता एवं सावधानी से प्रयोग किये जाने एवं किसी अपराध का बोध होने पर बिना संकोच स्थानीय थाना पर शिकायत करने से सम्बन्धित बिन्दुओं को इंगित करते हुए विस्तार से उनकी जानकारी दी गई एवं जागरूक किया गया व शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी ने तहसील
अलीगंज में सुनीं जनसमस्या

अलीगंज समाधान दिवस में मैं छात्रों को दृष्टा पढ़ाते हुए डीएम

पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान सीडीओ डा0 एके वाजपेयी, सीएमओ डा0 यूके त्रिपाठी, एसडीएम अलीगंज, डीडीओ प्रवीण कुमार राय, सीओ, डीपीआरओ केके सिंह चौहान,

बीएसए दिनेश कुमार, डीडी कृषि रातेश कुमार, कृषि अधिकारी मनवीर सिंह, एआर कॉन्पेटिव सतीश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री आशुष अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने **C.P. (IB)/26/ALD/2024** में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री आशुष अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्ताकिल), हरी पर्वत वाई, अगरा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री आशुष अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: <https://bbi.gov.in/home/downloads>
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग,
श्री आशुष अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर
आईबी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560
एफएफए 31.12.2025 तक वैध
पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001
आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com
केस विशिष्ट ईमेल आईडी: sbolpg@gmail.com

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने **C.P. (IB)/29/ALD/2024** में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्ताकिल), हरी पर्वत वाई, अगरा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: <https://bbi.gov.in/home/downloads>
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग,
श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर
आईबी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560
एफएफए 31.12.2025 तक वैध
पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001
आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com
केस विशिष्ट ईमेल आईडी: sbolpg@gmail.com

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड की निजी गारंटर श्री गगन अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज ने **C.P. (IB)/25/ALD/2024** में अपने आदेश दिनांक 24.10.2024 (एनसीएलटी वेबसाइट पर 02.11.2024 को अपलोड किया गया आदेश) के तहत आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत श्री गगन अग्रवाल, निवासी - प्लॉट नंबर 8ए/एल-12, लॉयर्स कॉलोनी (खसरा नंबर 742, मौजा मऊ मुस्ताकिल), हरी पर्वत वाई, अगरा-282001 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के खिलाफ दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
श्री गगन अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर अर्थात् 26.11.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ श्री दीपक कुमार गर्ग, माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता सहित, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर को 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001 पर प्रस्तुत करें। मामले से संबंधित ई-मेल आईडी sbolpg@gmail.com है।
लेनदारों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रचामूखिताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियमन 7 के तहत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.11.2024 होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: <https://bbi.gov.in/home/downloads>
नोट: सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन सहित, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास का प्रावधान होगा।
दीपक कुमार गर्ग,
श्री गगन अग्रवाल की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर
मैसर्स श्री बसंत ऑयल्स लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर
आईबी पंजीकरण संख्या - IBB/PA-002/IP-N00796/2019-2020/12560
एफएफए 31.12.2025 तक वैध
पता: 7ए, आत्माराम हाउस, नंबर 1, टॉलस्टॉय मार्ग, दिल्ली, 110001
आईबीसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी- deepakgarg07@rediffmail.com
केस विशिष्ट ईमेल आईडी: sbolpg@gmail.com